

प्ररूप 21 ग  
(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट पर चुनाव लड़ा गया हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

56—बगरू (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के विधानसभा का निर्वाचन


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमति गंगा देवी म.न. 11 रैगर मौहल्ला, ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर

इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान — जयपुर

तारीख — 11.12.2018

  
(नरेश बुनकर)  
रिटर्निंग ऑफिसर  
निर्वाचन क्षेत्र बगरू (056) जयपुर

**FORM 21 C**

(See rule 64)

*(For use in General Election, when seat is contested)*

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State/Union territory) from **56 - Bagru (S.C.)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**Smt.Ganga Devi** of House no.11, Raigar Mohalla, Vill. Thikaria, Tehsil Sanganer, Jaipur sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - **Jaipur**

Date - **11.12.2018**

  
(Naresh Bunker)  
**Returning Officer**  
Assembly Area Bagru (056)